महाविद्यालय कोड - 601

स्थापना वर्ष 2012

(डा. बी. आर. अम्बेडकर विश्व विद्यालय से सम्बद्ध)

वैद्य शिवचरन लाल स्मृति महाविद्यालय

शेरगढ़ (मथुरा)

विवरणिका 201..... - 201.....

Contact : 7037953801, 976021902
E-mail : vaidhyashivcharanlalm601@gmail.com

वैद्य शिवचरन लाल स्मृति महाविद्यालय

शेरगढ़, छाता (मथुरा)

परम पूज्यनीय माँ शारदे एवं विघ्न विनाशक गणपति जी के चरणों में शत-शत नमन

सरस्वती वन्दना

या कुन्देन्दुतुषार-हार-धवला या शुभ्र-वस्त्रावृत्ता,
या वीणा-वरदण्ड-मण्डित करा या श्वेत पद्मासना ।

या ब्रह्माच्युत-शंकर-प्रभुमितर्भादेवैः सदा वन्दिता,
सा माँ सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा ।।

वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः । निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्व कार्येषु सर्वदा ।।

संक्षिप्त परिचय

पतित पावनी कालिन्दी के कूल पर स्थापित धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से प्राचीन नगर शेरशाह शूरी द्वारा सन् 1542 में नाम परिवर्तित कर शेरगढ़ नाम से बसाया गया और एक प्रमाणानुसार श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कन्द में श्री श्याम सुन्दर की बाल-लीलाओं एवं बाल-क्रीड़ाओं का मनोहारी वर्णन है ।

छीतस्वामी के एक पद से ऐसा प्रतीत होता है कि यह शेरगढ़ नगर मुगलकाल से पूर्व श्रीगढ़ नाम का नगर रहा होगा ।

दस-दस कोस सखन संग भ्रमरत यमुना रेणु मुरारी,
खेलत बन उद्यान सुशोभित श्रीगढ़ शोभा न्यारी ।
कुंज बेल बन सघन कदम तरु चहुँ दिशि शौरभ भारी,
ग्वाल-बाल संग करत कुलाहल सैन चलाय हँसें गिरधारी ।।

अर्थात् बाल श्याम सुन्दर अपने सखाओं के साथ वृन्दावन से दस-दस कोस तक यमुना रेणु में विचरण करते थे । ''श्रीगढ़ शोभा न्यारी'' इसका तात्पर्य है कि द्वार युग में श्रीकृष्ण के समय यहाँ शेरगढ़ नहीं, कोई श्रीगढ़ का नगर रहा होगा जिसे शेरशाह शूरी ने सन् 1542 में नाम परिवर्तित कर शेरगढ़ कर दिया । द्वापर युग में यह नगर उद्यान एवं बेल लताओं से आच्छादित था । यमुना के किनारे सघन कदम्ब के वृक्ष, कुंज एवं वाटिकायें थीं । गहरे-गहरे सरोवर एवं क्रीड़ा हेतु सुगन्धित पुष्पों से पल्लवित पादप तथा खेलन वन थे । खेलन वन के अवशेष एवं सुन्दर सरोवरों के चिन्ह अभी तक विद्यमान हैं । नगर में गोपीनाथ का मन्दिर भी प्राचीनता की साख है । इसीलिये देश के कौने-कौने से आये हुए ब्रजयात्रा के यात्री इस परम पावन पवित्र भूमि पर अवश्य एक या दो दिन विश्राम कर पुण्य अर्जित करते हुए मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा से यमुना मैया से वन्दना करते हैं ।

मुगलकाल में शेरशाह ने भी इस नगर को सजाने और सँवारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी । यमुना पर सुन्दर-सुन्दर घाटों का निर्माण किया । विनाशक बाढ़ को रोकने हेतु यमुना के किनारे-किनारे करीब 6 फुट चौड़ी दीवारों का बाँध बनवाया । यात्रियों को रात्रि में विश्राम करने के लिए भवनों का भी निर्माण करवाया । जिनके ध्वंशावशेष अब भी विद्यमान हैं ।

इसीलिये यह नगर धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । ''जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी'' अतः स्वर्ग से भी बढ़कर हम सब माता एवं मातृभूमि को शत्-शत् नमन करते हैं । धार्मिक एवं ऐतिहासिक नगर होने के पश्चात् भी आधुनिक युग में गुर्जर जाति का केन्द्र बिन्दु शेरगढ़ नगर शिक्षा के क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तुलना की गणना में सबसे पीछे था ।

परम आदरणीय स्व. श्री शिवचरन लाल वैद्य जी जो इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में सर्वोपरि थे। उन्होंने इस समस्या को बड़ी गम्भीरता से लेते हुए सर्वप्रथम सन् 1990 में इण्टर कालेज की स्थापना विज्ञान वर्ग एवं कॉमर्स वर्ग से की । क्षेत्र की बेरोजगारी एवं बेकारी को दृष्टिगोचर रखते हुए वैद्य जी की ही प्रेरणा से सन् 1999 में औद्योगिक संस्थान आई.टी.आई. कालिज की भी स्थापना हो गई ।

इतने के पश्चात् भी क्षेत्र उच्च शिक्षा से रहित था । विशेषतः बेचारी छात्रायें और वह निर्धन छात्र जो शर से रहकर अध्ययन करने में असमर्थ थे । उच्च शिक्षा के आकांक्षी होकर भी मन मसोस कर रह जाते थे । इस प्रकार इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा की परम आवश्यकता को देखते हुए स्व. वैद्य जी के सुपुत्रों ने स्व. वैद्य शिवचरन लाल स्मृति महाविद्यालय शेरगढ़ के नाम से बी.ए. एवं बी.एस-सी. पाठ्यक्रम के साथ तथा भविष्य में बी.टी.सी., बी.एड्. की धारणा के साथ ब्रजेश्वर श्याम सुन्दर एवं शक्ति स्वरूप ब्रजेश्वरी राधारानी की अनुकम्पा से महाविद्यालय की स्थापना जुलाई 2012 को हो गई । अब यह महाविद्यालय स्वयं परीक्षा का केन्द्र होते हुए दिन-प्रति-दिन उन्नति की ओर अग्रसर है ।

सस्नेह

रमेशचन्द वशिष्ठ

वरिष्ठ प्रवक्ता

संस्था की विशेषताएं

1. हमारी संस्था की मुख्य विशेषताओं में ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों के छात्र-छात्राओं को उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करना ।
2. महाविद्यालय में गुरु एवं शिष्य परम्परा को जीवन्त करने का प्रयास किया गया है ।
3. हमारा मुख्य उद्देश्य महाविद्यालय में अनुशासन पालन एवं रचनात्मक कार्य कराना है ।
4. उच्च शिक्षा का यह उद्देश्य विशेष प्रकार के ज्ञान एवं खोज जीवन की उन्नति के लिये है ।
5. हमारा यह विद्यालय प्राचार्य एवं प्रबन्ध तंत्र के सहयोग से निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर है । जिसका मूलमंत्र भेदभाव रहित, भयमुक्त वातावरण है ।
6. हमारे विद्यालय की एक भव्य इमारत है, अध्ययन हेतु सुशिक्षित एवं योग्य प्रवक्ता हैं । महाविद्यालय में आधुनिक प्रयोगशालाएं हैं ।
7. महाविद्यालय में पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध है ।
8. महाविद्यालय का वातावरण स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित है ।
9. महाविद्यालय में शीतल पेयजल की व्यवस्था है ।
10. महाविद्यालय के कक्ष आधुनिक प्रकार से सुसज्जित हैं एवं सेमीनार के लिए हॉल की व्यवस्था है ।

महाविद्यालय में संचालित संकाय

कला संकाय / विज्ञान संकाय (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम) बी.ए. / बी.एस-सी. त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के बी.ए. / बी.एस-सी. (पार्ट - I, II, III) में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को निम्न-लिखित विषयों का अध्ययन करना होगा -

(अ) (i) शारीरिक शिक्षा (बी.ए. / बी.एस-सी.)
(ii) राष्ट्रीय गौरव
(iii) पर्यावरण अध्ययन

(ब) ऐच्छिक विषय - निम्न विषयों में से प्रत्येक विद्यार्थी को चार विषय चुनने होंगे (कला वर्ग)

(i) हिन्दी - सामान्य (भाषा)	(ii) अंग्रेजी - सामान्य (भाषा)	
(iii) हिन्दी - साहित्यिक	(iv) अंग्रेजी	
(v) गृह विज्ञान	(vi) राजनीति शास्त्र	
(vii) इतिहास	(viii) समाजशास्त्र	(ix) शिक्षा शास्त्र

(स) ऐच्छिक विषय - (विज्ञान वर्ग)

(PCM)

i-(a) भौतिक विज्ञान, (b) रसायन विज्ञान (c) गणित

(ZBC)

ii-(a) जन्तु विज्ञान (b) वनस्पति विज्ञान (c) रसायन विज्ञान

अन्य गतिविधियाँ

महाविद्यालय में शैक्षिक सुविधाओं के अतिरिक्त अनेक शिक्षणोत्तर कार्यक्रम भी संचालित किये जाते हैं । छात्र/छात्राओं के व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए वाद-विवाद प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम - निबन्ध एवं स्वरचित कविताओं के पान के लिये गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है । छात्र / छात्राओं को लेख, कविता, नाटक आदि का लिखने की कला भी अभिव्यक्ति के लिये शैक्षिक पत्रिका प्रस्तावित है । छात्रों में सामाजिक एवं राष्ट्रीय भावों को प्रज्जवलित करने के लिये राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.) एन.सी.सी. (N.C.C.) प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिये महाविद्यालय स्तर से प्रयत्न जारी हैं ।

गणवेश

छात्राओं के लिये	-- सलेटी पैन्ट एवं सफेद शर्ट, काले जूते, नीला ब्लेजर
छात्राओं के लिये	-- सफेद कुर्ता, सफेद सलवार, सलेटी दुपट्टा, काले जूते, नीला ब्लेजर

छात्रवृत्तियाँ / उपस्थिति

महाविद्यालय में अध्ययनरत संस्थापत छात्राओं की शुल्क मुक्ति ''शुल्क मुक्ति समिति'' की संस्तुति पर प्राचार्य द्वारा की जायेगी । शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन करना आवश्यक है । शुल्क मुक्ति तथा परीक्षा में बैठने का निर्णय छात्र की 75 प्रतिशत उपस्थिति पर निर्भर रहता है ।

महाविद्यालय के उद्देश्य

1. उच्चकोटि की शिक्षा प्रदान करना ।
2. युवाओं को आत्म निर्भरता एवं कार्य के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना ।
3. एक सम्पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करना ।
4. राष्ट्र हित में उच्च शिक्षा प्रदान करना ।
5. भारतीय उच्च शिक्षा को सम्पूर्ण विश्व में पहचान दिलाना ।
6. विभिन्न प्रकार के सामाजिक कलात्मक एवं रचनात्मक कार्यक्रम का आयोजन ।

पुस्तकालय

महाविद्यालय से पुस्तकालय में छात्र-छात्राओं को पुस्तक लेने के लिये 25% देना होगा । जो कि विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी गयी है । एक पुस्तक एक छात्र को अधिकतम 20 दिनों के लिये दी जा सकती है । यदि कोई विद्यार्थी किसी पुस्तक को 20 दिनों के अन्दर वापिस नहीं करता है तो उसे दण्ड स्वरूप शुल्क देय होगा । यदि कोई पुस्तक कट या फट जाती है तो वह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस नहीं होगी और विद्यार्थी को उस पुस्तक का पूरा शुल्क दण्ड सहित देय होगा ।

खेल-कूद

क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बालीबाल, बैडमिंटन, टेबिल-टेनिस और अन्य खेलों के खेलने की व्यवस्था महा-विद्यालय द्वारा समय-समय पर उपलब्ध करायी जाती है । महाविद्यालय में खेलों की व्यवस्था हेतु एक खेलकूद समिति का गठन किया गया है । कमेटी अपनी जिम्मेदारी से समय-समय पर हर प्रकार के खेलों की प्रतियोगिताएं महाविद्यालय स्तर पर आयोजित करती है ।

प्रत्येक विद्यार्थी को खेलों में भाग लेना अनिवार्य है । किसी भी विद्यार्थी को किसी अन्य टीम के लिये खेलने से पहले महाविद्यालय की खेल-कूद कमेटी में परामर्श करना अनिवार्य है ।

सांस्कृतिक कार्यक्रम

महाविद्यालय में समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं । सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने से छात्रों के व्यक्तित्व में निखार आता है और वे अपने को समाज के साथ समायोजित करने में सफल होते हैं । उत्कृष्ट छात्रों को पुरस्कृत किया जाता है ।

राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई (N.S.S.)

महाविद्यालय को वर्ष 2015 से विश्व विद्यालय एवं युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई (N.S.S.) में 100 छात्र/छात्राओं को प्रतिवर्ष सम्मिलित करने हेतु मान्यता प्रदान की गयी है । इसके प्रमाण-पत्र से विभिन्न सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी उपक्रमों में सेवा प्रदान करने हेतु अतिरिक्त अंक प्रदान किये जाते हैं ।

प्रवेश सम्बंधी नियम

प्रवेशार्थी को आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे -

1. हाई स्कूल, इण्टर, स्नातक - i, ii परीक्षा के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्रों की दो-दो छायाप्रति ।
2. स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति ।
3. चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति ।
4. छः पास-पोर्ट साइज फोटो ।
5. एन.सी.सी./एन.एस.एस./खेल प्रमाण पत्र की छाया प्रति ।
6. अन्य प्रमाण पत्र की छाया प्रति जो मेरिट योग्य हो ।

प्रवेशार्थी को महाविद्यालय में प्रवेश पाना चाहता है, उसे निम्न बातों पर गौर करना आवश्यक है ।

1. प्रवेशार्थी आवेदन पत्र को ठीक रूप से स्वयं भरे और उसे पूर्व में उथ्तीर्ण की गई परीक्षाओं की अंक तालिकाओं की प्रमाणिक छायाप्रति, चरित्र प्रमाण पत्र की छाया प्रति शुल्क के साथ संलग्न कर कार्यालय में स्वयं जमा करें। अंक तालिकाओं की मूल प्रति जमा करने के बाद वापिस नहीं होगी ।
2. जो विद्यार्थी पिछली परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाये हैं, वे प्रवेश नहीं पा सकेंगे । यदि वे पुनः परीक्षा के लिये मान्य हैं तो स्वयं की जिम्मेदारी पर प्रवेश पा सकेंगे ।
3. प्राचार्य या उसके द्वारा बनायी गयी प्रवेश कमेटी को किसी भी प्रवेशार्थी का प्रवेश लेने, न लेने का पूर्ण अधिकार होगा ।
4. प्रवेश के उपरान्त महाविद्यालय छोड़ने की स्थिति में विद्यार्थी द्वारा जमा की गयी कोई भी राशि वापस नहीं की जाएगी । महाविद्यालय द्वारा अनुशासनहीनता एवं अभद्रता करने पर विद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा ।

शुल्क सम्बन्धी नियम

1. चयनित हुए प्रवेशार्थियों का आवेदन पत्र प्रवेश कमेटी द्वारा चयन होने के बाद महाविद्यालय को भेजा जाएगा । कार्यालय द्वारा बिल/चालान की तीन प्रतियों में प्रवेश शुल्क सम्बन्धित जानकारी सहित दिया जायेगा ।
2. प्रवेश के समय कम से कम 50 प्रतिशत फीस जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा प्रवेश मान्य नहीं होगा।

अनुशासन सम्बन्धी नियम

शिक्षा का मुख्य उद्‌देश्य राष्ट्र को होनहार नौजवान नागरिक प्रदान करना है । हमारे समक्ष महात्मा गाँधी, महाराणा प्रताप, शिवाजी, महाराणी लक्ष्मीबाई जैसे महान व्यक्तियों का उदाहरण है जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने हितों को ध्यान में रखते हुए अनेकों कुर्बानियां दीं ।

विद्यार्थी निम्न बातों का विशेष ध्यान रखें -

1. विद्यार्थी अपनी रोजना की गतिविधियों में अपने आचरण एवं व्यवहार पर विशेष ध्यान दें । उन्हें महाविद्यालय में एक संस्कृति का निर्माण करना है । विद्यार्थी यह भी ध्यान रखें कि महाविद्यालय के बाहर उसकी गरिमा को विद्यार्थियों का आचरण ही बनाये रख सकता है ।
2. अपनी उपस्थिति प्रतिदिन दर्ज करवायें ।
3. नोटिस बोर्ड पर रोजाना ध्यान दें ।
4. उपस्थिति की तरफ विशेष ध्यान दें, अगर उपस्थिति 75% से कम रहती हैं तो विद्यार्थी को विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने नहीं दिया जायेगा ।
5. विद्यार्थी किसी भी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधि (जैसे अनुशासन का विरोध, मनमानी करने के लिये महाविद्यालय प्रशासन पर दबाब बनाना आदि) की तरफ ध्यान दें जो कि आपके महत्वपूर्ण समय एवं शिक्षा को प्रभावित करती हो ।
6. विद्यार्थी अपना पहचान-पत्र अपने साथ रखें ।
7. महाविद्यालय के स्टाफ व सदस्यों को पूरा सम्मान दें ।
8. अपनी प्रगति के बारे में समय-समय पर सूचित करते रहें ।

विद्यार्थी निम्न बातों का पालन करें -

1. महाविद्यालय के बरामदे में से गुजरते हुए जोर से बातें न करें ।
2. कक्षा के सामने या आस-पास खड़े न हों ।
3. महाविद्यालय परिसर में घूमते हुए अपने सहपाठियों को जोर से आवाज न दें ।
4. पानी या टॉयलेट के लिए निश्चित काल में ही जायें और रास्ते में खड़े होकर बात न करें ।
5. महाविद्यालय परिसर में लगे हुए फूल एवं बगीचे को नुकसान न पहुंचायें
6. महाविद्यालय की दीवारों या दरवाजों पर किसी भी प्रकार की कोई लिखावट न करें ।
7. महाविद्यालय की सम्पत्ति को नुकसान न पहुँचायें ।
8. विश्वविद्यालय की परीक्षा में कोई असामाजिक तरीका न अपनायें ।
9. महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान, पान मसाला, गुटखा आदि वर्जित है ।
10. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल का उपयोग सख्त बर्जित है ।
11. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार महाविद्यालय में रैगिंग वर्जित है, यदि कोई विद्यार्थी रैगिंग करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ महाविद्यालय द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज करायी जा सकती है ।

विद्यार्थी से निम्न अपेक्षाएँ की जाती हैं -

1. ऐसा कोई कार्य न करें जो महाविद्यालय की गतिविधियों में रुकावट पैदा करे ।
2. प्रवेश के एक सप्ताह के अन्दर विद्यार्थी अपना पहचान-पत्र महाविद्यालय से ले लें ।
3. यदि विद्यार्थी का व्यवहार महाविद्यालय के अनुकूल नहीं पाया जाता है तो वह प्राचार्य द्वारा विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार दण्डित किया जा सकता है ।
4. विद्यार्थी सभी लैक्चरों में उपस्थित रहें, लैक्चर के बीच में कक्षा छोड़कर न जायें ।
5. विद्यार्थी को यह हिदायत दी जाती है कि वे कार्यालय के टेलीफोन का इस्तेमाल न करें ।
6. एक बार जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा ।
7. विद्यार्थी नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित रहें । 15 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश प्राचार्य द्वारा निरस्त किया जा सकता है ।

डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

प्रवेश नियमावली

यह नियम विश्वविद्यालय परिनियम तथा अध्यादेशों के अधीन ही मान्य होंगे तथा महाविद्यालयों में कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि तथा विधि (एल-एल.बी. प्रथम वर्ष एवं एल-एल.एम. प्रथम वर्ष) संकायों की कक्षाओं में प्रवेश के लिये लागू होंगे । प्रवेश उन्हीं पाठ्यक्रम/विषयों में दिया जायेगा जिनकी सम्बद्धता महामहिम कुलाधिपति महोदय अथवा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ से प्राप्त हैं और उनका प्राविधान विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में विद्यमान हैं तथा मा. कुलपति महोदय से प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर ली गयी है ।

सामान्य निर्देश

1. (अ) प्रत्येक महाविद्यालय अपनी विवरण पुस्तिका ''प्रोस्पेक्ट्स'' तैयार करायेगा, जिसमें प्रवेश नियमों, निर्धारित शुल्कों तथा महाविद्यालय सम्बन्धी आवश्यक सूचनाओं का विवरण होगा । आवेदन-पत्र एवं अन्य प्रपत्र भी इस पुस्तिका में संलग्न होंगे तथा सभी कक्षाओं के लिए एक ही विवरण पुस्तिका होगी । सभी पाठ्यक्रम इस पुस्तिका में सम्मिलित किये जायेंगे ।

   (ब) विवरण पुस्तिका में प्रत्येक कक्षा में निर्धारित सामान्य व आरक्षित सीटों का विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य होगा । प्रत्येक कक्षा में 21 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, 27 प्रतिशत स्थान पिछड़ी जातियों, 2 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जनजातियों तथा 3 प्रतिशत स्थान विकलांगों के लिए (छात्र के स्वयं से सम्बन्धित वैग (कैटगरी) के अन्तर्गत ही) आरक्षित होंगे । विकलांगों के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा ।

2. (अ) कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों की स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष में ''त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम'' तथा कृषि संकाय की स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष में ''चतुर्थवर्षीय पाठ्यक्रम'' में ही प्रवेश दिये जायेंगे । यदि छात्र अन्य किसी वर्ष में उक्त पाठ्यक्रमों के किसी विषय में प्रवेश लेना चाहे तो पत्राचार पाठ्यक्रम में, केवल उन विषयों में जिनमें पत्राचार पाठ्यक्रम उपलब्ध हो, प्रवेश ले सकते हैं ।

   (ब) सभी संकायों की स्तानक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष के लिए आवेदन-पत्रों के पंजीकरण की अन्तिम तिथि 31 जुलाई होगी तथा शुल्क आदि जमा करके प्रवेश प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई होगी । किसी भी परिस्थिति में प्रवेश 16 अगस्त के पश्चात नहीं होगा । ऐसे अभ्यर्थी जिनका परीक्षाफल रोका गया हो, परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिन तक प्रवेश ले सकेंगे, यदि कक्षा में स्थान उपलब्ध हों ।

महाविद्यालयों के खुलने की तिथि	–	1 जुलाई
स्नातक प्रथम वर्ष प्रवेश हेतु पंजीकरण की अन्तिम तिथि	–	31 जुलाई
स्नातक स्तर की द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के उत्तरार्द्ध की कक्षायें प्रारम्भ होने की तिथि	–	1 अगस्त

प्रथम वर्ष के लिए शुल्क जमा करने के पश्चात् प्रवेश की अन्तिम तिथि – 15 अगस्त

प्रथम वर्ष की कक्षाऐं प्रारम्भ होने की तिथि – 1 अगस्त

(स) प्रवेश के इच्छुक समस्त अभ्यर्थी सम्बन्धित अर्ह परीक्षा का परिणाम विश्वविद्यालय द्वारा घोषित होने पर अंकतालिका के निर्गत होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर निर्धारित शुल्क जमा करके प्रवेश हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय में अपना पंजीकरण करा सकेंगे । यदि सम्बन्धित महाविद्यालय में स्थान रिक्त हैं तथा प्रवेशार्थी समस्त वैधानिक प्रतिबन्ध को पूर्ण करता हो ।

3. (अ) प्रवेश सूची मय योग्यता अंक सहित कॉलेज नोटस पट ''नोटिस बोर्ड'' पर लगा दी जायेगी । छात्र तद्नुसार प्रवेश ले लें ।

(ब) महाविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ वर्ष में सम्बन्धित पिछले वर्ष की कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रवेश मिलेगा, यदि उनका प्रवेश किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित न हो ।

(स) कला एवं वाणिज्य संकाय के ऐसे छात्र जिन्होंने स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की या स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की हो और कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष में संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश के लिए अर्ह होंगे ।

4. (अ) स्नातकोत्तर उपाधि के धारक किसी अन्य विषय से स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश नहीं ले सकेंगे ।

(ब) किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र पुनः संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश हेतु वर्जित रहेंगे । ये भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे ।

(स) यदि छात्र किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश का इच्छुक है और उसकी परीक्षा में अन्तराल है तो ऐसी दशा में प्राचार्य को यह अधिकार होगा, कि वह अधिकतम 2 वर्ष के अन्तराल के प्रवेश हेतु विचार कर सकता है । अन्तराल नियमित पाठ्यक्रम से 2 वर्ष तक का ही विचारणीय होगा ।

(द) ऐसे सभी छात्र जिन्होंने एल-एल.बी. की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, एल-एल.एम. कक्षा को छोड़कर किसी अन्य स्नातकोत्तर कक्षा में संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश पाने के अधिकारी नहीं होंगे ।

(य) कला वाणिज्य संकाय के ऐसे छात्र जो किसी कक्षा में संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश ले चुके हों, परन्तु जिन्होंने सत्र के बीच में पढ़ाई छोड़ दी हो या परीक्षा में सम्मिलित न हुये हों, विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय की किसी भी कक्षा में पुनः प्रवेश नहीं पा सकेंगे । ऐसे छात्र व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा दे सकेंगे ।

''यह प्रतिबन्ध उन छात्रों पर लागू नहीं होगा, जिन्होंने संस्थागत छात्र के रूप में कोई प्रयोगात्मक विषय लिया हो । पुनः उसी कक्षा/विषय में प्रवेश चाहता हो या जिसे विश्वविद्यालय द्वारा किसी छूआछूत की बीमारी के कारण बैठने से रोक दिया गया हो अथवा जिन्हें भूतपूर्व छात्र या व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने की सुविधा न हो ।''

प्राचार्य को प्रवेश के मामले में डा. भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय आगरा विवरण पुस्तिका के अध्याय -19 के नीचे उद्धृत अध्यादेश-2 के अनुसार कर्तव्य और अधिकार होंगे –

"Subject to order issued under sub-section (4) of section 28 of the act, the Principal shall be the sole authority to admit or refuse to admit any applicant to any class in his college. He shall however, duly and strictly, follow the norms and principles, if any laid down by the University and such other directions as may be given to him from time to time by the University. Provided that the Principal may, at his discretion refuse to admit a candidate even if he is entitled for admission according to norms and principles laid down by the University and shall report all such cases to the admission committee forthwith."

स्पष्टीकरण : उदाहरणार्थ निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रवेश देने से इंकार किया जा सकता है -

1. यदि अभ्यर्थी किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता के आरोप में दोषी पाया गया हो ।
2. यदि अभ्यर्थी किसी भी न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध में दण्डित किया गया हो या शासन द्वारा किसी अपराध में पंजीकृत किया गया हो और न्यायालय में निर्णय के लिए विचाराधीन हो ।

5. (अ) स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्हता निम्न प्रकार होंगी –

1. बी.एस-सी. फिजीकल साइंस के लिए इण्टरमीडिएट गणित या समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्ण।
2. बी.एस-सी. लाइफ साइंस के लिए इण्टरमीडिएट बायलोजी ग्रुप या इण्टर कृषि परीक्षा में उत्तीर्ण ।
3. बी.एस-सी. (कृषि) के लिए इण्टरमीडिएट कृषि या इण्टरमीडिएट साइंस बायोलोजी अथवा गणित उत्तीर्ण ।
4. बी.ए./बी.कॉम. के लिए इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण ।

(ब) स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश निम्न प्रकार किये जायेंगे –

(i) विश्वविद्यालय की भौगोलिक सीमाओं में स्थित स्थाई रूप से, सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं उन्हीं जनपदों के इण्टरमीडिएट कालेजों से आने वाले उन अभ्यर्थियों को 80 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा, जिन छात्रों ने 10 एवं 10 + 2 की परीक्षा उत्तर प्रदेश आगरा मण्डल की सीमा के अन्तर्गत स्थित इण्टरमीडिएट कालेजों से उत्तीर्ण की हो तथा स्नातक स्तर की परीक्षा यू.पी. आगरा मण्डल तथा डा. बी. आर. अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा के महाविद्यालयों से उत्तीर्ण की हो । जनपदों के इण्टरमीडिएट कॉलेजों से आने वाले उन अभ्यर्थियों को 80 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा । जिन छात्रों ने 10 एवं 10 + 2 की परीक्षा उत्तर प्रदेश आगरा मण्डल की सीमा के अन्तर्गत स्थित इण्टरमीडिएट कॉलेजों से उत्तीर्ण की हो तथा स्नातक स्तर की परीक्षा यू.पी. आगरा मण्डल उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं है ।

(ii) शेष 20 प्रतिशत स्थानों पर अन्य संस्थाओं से आने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा, जिनमें 5 प्रतिशत विदेशी छात्र भी सम्मिलित हैं, यदि उनकी योग्यतांक ऊपर के भाग (1) के अभ्यर्थियों से अधिक हो ।

(iii) शासनादेश संख्या जी. आई. 35/सत्तर-1-2000 दिनांक 23 सितम्बर, 2000 के अन्तर्गत कश्मीर के विस्थापित छात्र-छात्राओं को दो स्थानों पर उक्त 20 प्रतिशत स्थानों में प्रवेश दिया जायेगा ।

(iv) भाग-2 तथा 3 में रिक्त स्थानों की पूर्ति भाग-1 के अभ्यर्थियों से योग्यता क्रमानुसार की जायेगी ।

(v) विदेशी छात्रों को तभी प्रवेश दिया जायेगा, जब उनके पास स्टूडेण्ट बीजा हो तथा भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं प्रदेशीय सरकार के विदेशी रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा स्वीकृति हो तथा कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता रखते हों । ऐसे समस्त विदेशी छात्रों को जिन्हें सम्बन्धित दूतावास द्वारा संस्तुत किया गया हो, विश्वविद्यालय की एक समिति द्वारा स्क्रीनिंग करने के उपरान्त कुलसचिव के हस्ताक्षरयुक्त अनुमति पत्र दिये जाने पर ही महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश दिया जायेगा ।

समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे –

1. अधिष्ठाता - विदेशी छात्र
2. प्रत्येक जिले का परिष्ठतम प्राचार्य - चक्रक्रमानुसार
3. एस. एन. मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा नामित - मेडिसन का वरिष्ठ प्राध्यापक

नोट – कोई भी महाविद्यालय एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालय बिना विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के विदेशी छात्रों को प्रवेश ''प्रोवीजनल'' भी नहीं देगा।

4. समय-समय पर दिये गये शासनादेशों के अनुपालन में किसी भी महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर वर्ष में सन्ध्याकालीन कक्षाओं के संचालन की अनुमति नहीं दी गई है । इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।
5. समिति का यह भी निर्णय है कि शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाये ।

शैक्षणिक अंकों की गणना –

6. (क) स्नातक कक्षायें –

1. हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत ।

2. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत ।

नोट – विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्री-यूनिवर्सिटी, प्री-इन्जीनियरिंग, प्री-मेडीकल तथा 11 + 1 + 3 पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा हायर सैकेण्डरी बोर्ड की 10 + 2 परीक्षा भी इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य है । यदि विद्यार्थी ने हाईस्कूल के स्थान पर हायर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो उसे प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत गणना के लिए लिये जायेंगे ।

अतिरिक्त अंक (अधिकतम 17 अंक)

शैक्षिक योग्यता अंकों के साथ निम्नलिखित अंकों, जहाँ अनुमन्य हों, को जोड़कर योग्यता सूची बनेगी, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि अतिरिक्त अंकों का कुलयोग 17 अंकों से अधिक नहीं होगा ।

(क) स्नातक कक्षायें :

1. क्षेत्रीय स्तर की टीम के सदस्य के रूप में राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ।
2. एन.सी.सी. ''सी'' सर्टिफिकेट/जी-2 उत्तीर्ण केडिटों को

   अथवा

   एन.सी.सी. ''बी'' सर्टिफिकेट/जी-1 प्रमाण-पत्र धारक केडिटों को

   अथवा

   एन.सी.सी. केडिट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है और 2 कैम्पों में भाग लिया है, लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है ।
3. स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र/पुत्री (अविवाहित अथवा पौत्र/पौत्री)
4. बी.कॉम. (प्रथम वर्ष) में प्रवेश के लिए योग्यता अंक की गणना करते समय उन प्रवेशार्थियों को 5 अतिरिक्त अंक दिये जायें, जिन्होंने इण्टरमीडिएट या 10 अ 2 की परीक्षा वाणिज्य (गैर वोकेशनल) से उत्तीर्ण की हो ।

कुलसचिव

ख) सभी कक्षायें :

1. डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में सेवारत एवं स्ववित्त घोषित संस्थान के विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अनुबन्धित प्रवक्ता तथा अवकाश प्राप्त केवल स्थायी/ अध्यापकों एवं कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री तथा कृषि संकाय में स्थायी परियोजनाओं के स्थायी कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री ।
2. भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या बैंक अन्य रैंक के केवल पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री ।
3. कारगिल के ऑपरेशन विजय के शहीदों के पुत्र/पुत्री / विधवाओं को प्रवेश में ।

टिप्पणी - (1) प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में शैक्षणिक अनुमन्य अंकों की प्राथमिकता की घोषणा गलत पाई गई तो उसकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी ।

(2) प्रवेश हेतु वरीयता सूची के घोषित होने के बाद अनुमन्य अंकों के प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेंगे। अन्य कोई अभिलेख बाद में विचारार्थ स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

7. (अ) सामान्यतः स्नातक कक्षा के एक सैक्शन में 60 छात्रों को महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। उसके आगे विशेष परिस्थितियों में 10 सीटें अधिक प्रदान करने का अधिकार कुलपति को होगा, लेकिन इसके लिए प्राचार्य अतिरिक्त स्टाफ की मांग नहीं करेंगे । कक्षा में प्रवेश की कुल संख्या स्वीकृत सैक्शनों की संख्या पर आधारित होगी।

(ब) विशेष परिस्थितियों में कुलपति को प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित होगा । संस्थागत छात्र को किसी भी ऐसे विषय या प्रश्न-पत्र को लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी जिसकी सम्बन्धित महाविद्यालय में पढ़ाये जाने की व्यवस्था नहीं है अथवा जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है ।

8. (अ) प्रवेश हेतु नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा । नियमों के पालन में किसी भी समस्या अथवा कठिनाई का अनुभव होने पर प्राचार्य कुलपति को लिखेंगे और कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा ।

(ब) प्राचार्य प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार करके नियमानुसर निर्णय लेंगे और किसी भी छात्र के प्रार्थना-पत्र को विश्वविद्यालय को अग्रसारित नहीं करेंगे ।

(स) एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालयों में छात्रों का स्थानान्तरण सम्बन्धित प्राचार्यों की सहमति से सरकारी शिक्षक एवम् कर्मचारी वार्डों को सभी कक्षाओं में स्थानान्तरण अनुमन्य हो सकता है एवम् शेष सभी छात्रों को महाविद्यालय स्तर पर प्रथम वर्ष की कक्षाओं को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं में स्थानान्तरण पर विचार किया जा सकता है ।

(द) प्रविष्ट छात्र को कक्षा में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा । 15 कार्य दिवस तक निरन्तर अनुपस्थित रहने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा । इसका उत्तरदायित्व छात्र का होगा ।

(य) अभ्यर्थी का यह दायित्व होगा कि वह महाविद्यालय में अपने प्रवेश के सम्बन्ध में निरन्तर सम्पर्क करता रहे और सूचना पट पर दी गई सूचनाओं/सूचियों का अद्यतन ''अपटू-डेट'' जानकरी रखें, ताकि निर्धारित अवधि के भीतर प्रवेश ले सकें ।

प्रवेश के इच्छुक प्रत्येक अभ्यर्थी का यह भी दायित्व होगा कि वह ऊपर दिये गये नियमों और विश्वविद्यालय के अन्य सम्बन्धित नियमों को भली भाँति पढ़ लें । उनका यह भी दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि उनका प्रवेश किसी दृष्टिकोण से नियमों के प्रतिकूल तो नहीं हुआ । उसका यह भी दायित्व होगा कि उन्होंने प्रवेश हेतु असत्य अथवा भ्रामक अंक सूची के माध्यम से तो प्रवेश लेने की कोशिश नहीं की है । नियमों के प्रतिकूल किये गये प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त किये जाने की दशा में उत्तरदायित्व सर्वथा ही होगा ।

इस नियमावली के निर्गत होने पर प्रवेश सम्बन्धी पूर्व निर्गत अधिसूचनायें/प्रपत्र निरस्त समझे जायें ।

VAIDHYA SHIV CHARANLAL SMRITI MAHAVIDYALAYA

Shergrh (Mathura)

Application form for admission / Re-admission

(Form should be filled up very carefully in the student's hand writing. Incomplete form without photographs will be rejected)

Admission Sought in which class

Class	Year/Sem.................(I, II, III, IV, V, VI)	Session

Passport Size Photograph

Fee Paid in Cash/Draft/Cheque...

Category (1) S/C (2) S/T (3) B/C (4) Handicapped (5) General ....

1. Full Name (In Capital Letters)..
2. Date of Birth ....
3. University Enrolment ....
4. Father's / Guardians Name and Occupation ....
5. Address ....

   ....

   .... Phone No ....
6. Mother's Name & Occupation ....
7. Religion .... 8. Caste .... 9. Nationality.........................
10. (a) Married / (2) Bachelor ....
11. Do you belong to SC/ST of BC Class ? Yes / No (If yes please attach certificate) ....
12. Whether you are in service, Yes / No. (If yes please attach no objection certificate form in employer)........................
13. Whather you have ever been expelled / rasticated or debarres for using unfair means in the Board / University Exam ? Yes/No. if so for what reason & for how long...
14. Have you ever been prosecuted, punished of convicted for any offence by any court of law ? Yes / No (If yes please give the full details)...
15. **Educational Qualification**

Examination Passed	Name of University College/Board	Year	Subject Obt.	Marks		Division	Percent
				Max.	Result.		
H.S.							
Intermediate							
Graduation - I							
Graduation - II							

16. Subject / Papers to be offered (i) .... (ii) .... (iii) .... (iv) ....
    (v) .... (vi) .... (vii) .... (viii) .... (ix) ....
17. Particulars of the last examination passed (Attach transfer certificate)...
18. Details of Games and Other - curricular activities..
19. Whether you will come with your own conveyance ? Yes / No ....

I declare that the above information given by me are true and correct I undertake to follow and obey every rule and regulations of the College. If any information given by me is found to the incorrect or false, my admission for class may be cancelled on my risk and responsibility and I will not claim of demand the refund off the fees deposited by me. I am not offering double courses.

Date...................... Signature (Parents & Guardian) Signature (Student)

Admission Form Checked .... Clerk in Charge ....

admit to .... Signature of the admission in charge ....

Class .... at college S. No ....

and realized college dues of Rs. .... Vide receipt No. .... Dated ....

Signature
(Fee Clerk)

Signature
(Director / Principal)

संलग्न 'अ'

प्रवेश के समय छात्र का घोषणा-पत्र

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मैं महाविद्यालय में अपने सम्पूर्ण अध्ययन में सचरित्र और सद्व्यवहार बनाये रखूँगा / रखूँगी और किसी भी अवांछनीय असामाजिक कार्यों में भाग नहीं लूँगा / लूँगी ।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि प्राचार्य/कुलपति के सन्तुष्ट पूर्ण अनुशासन के निर्वाह और विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश विनिमय तथा अन्य निर्देशों के अनुपालन में मैं प्रचार्य को सन्तुष्ट बनाये रखूँगा / रखूँगी एवं किसी न्यायालय द्वारा ''मैरल टर्पीट्यूड'' के जुर्म के लिए कभी दोषी नहीं ठहराया गया / गयी हूँ । एवं डा. बी. आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय की अगली परीक्षा की किसी स्थिति में परीक्षा का बहिष्कार नहीं करूँगा / करूँगी । यदि मेरा ऐसा आचरण पाया जाये तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा एवं विश्वविद्यालय के नियमानुसार कम से कम 75 प्रतिशत कक्षाओं की थ्यौरी व प्रैक्टीकल में अलग-अलग उपस्थित रहूँगा / रहूँगी, यदि नहीं रहता / रहती हूँ तो मुझे विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित न होने दिया जाये । मैं महाविद्यालय में नियमित रूप से अपनी कक्षा में उपस्थित रहूँगा / रहूँगी । यदि मैं सात दिन तक बिना किसी सूचनापत्र के निरन्तर कक्षा में अनुपस्थित रहूँ तो प्राचार्य महोदय को मेरा प्रवेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी । भविष्य में किसी भी समय विश्वविद्यालय द्वारा मेरा शिक्षा सम्बन्धी प्रमाण-पत्र उक्त पाठ्यक्रम हेतु उपयुक्त न पाये जाने अथवा फर्जी पाये जाने पर यदि मेरा प्रवेश अथवा सम्बन्धित डिग्री प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

यदि में इस घोषणा-पत्र की अवज्ञा करूँ तो विश्वविद्यालय के तत्सम्बन्धी नियमों के अनुकूल निष्कासन अथवा दण्ड का भागी बनूँगा/बनूँगी। मैं कहीं सेवारत नहीं हूँ ।

पता ....

....

दिनांक.............................. हस्ताक्षर
(छात्र/छात्रा)

अभिभावक/संरक्षक का घोषणा-पत्र

मैं एतद् द्वारा यह विश्वास दिलाता हूँ साथ ही मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि मेरा पुत्र/मेरी पुत्री/मेरी पत्नी/आश्रित......................... कक्षा......................में अपना प्रवेश पाने पर महाविद्यालय में अपने सम्पूर्ण अध्ययन काल में अपना सचरित्र और अपना सद्व्यवहार बनाये रखेगा/रखेगी । उसका ऐसा न करने की स्थिति में वह विश्वविद्यालय के नियमानुकूल निष्कासन अथवा अन्य दण्ड का भागी बनेगी/बनेगी । मैं यह भी विश्वास दिलाता हूँ कि वह कहीं सेवारत नहीं है और वह महाविद्यालय में नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित रहकर अपना अध्ययन पूरा करेगा/करेगी । मैं यह भी विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा पुत्र/मेरी पुत्री/मेरी पत्नी विश्वविद्यालय के नियमानुसार कम से कम 75 प्रतिशत कक्षा में थ्यौरी व प्रैक्टीकल में अलग-अलग उपस्थित होगा/होगी । अन्यथा इसे परीक्षा में सम्मिलित होने से रोक दिया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी । मैं यह भी ध्यान रखूँगा कि आश्रित नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित रहेगा/रहेगी । सात दिन तक अनुपस्थिति रहने पर प्राचार्य महोदय को उसका प्रवेश निरस्त करने का अधिकार होगा। जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी एवं मैं जमा की गई फीस को वापिस प्राप्त करने के लिए कोई दावा नहीं करूँगा तथा समय-समय पर मैं आश्रित के सम्बन्ध में महाविद्यालय से सम्पर्क करता रहूँगा ।

दिनांक.............................. हस्ताक्षर
(छात्र/छात्रा)

वैद्य जी की स्मृति में

श्री शिव चरन लाल वैद्य जी ने इस क्षेत्र का अति उपकार किया
जन-जन की सेवा करने का, सुन्दर सपना साकार किया
अपने हाथों से निर्मित कर, वह औषधि जिसे खिलाते थे
हो मरणासन्न अवस्था में, उसके भी प्राण बचाते थे
चेहरा हँसमुख वाणी मीठी, जब तनिक-तनिक मुस्कराते थे
दुखियों के आधे दुख उनको, देखते ही दूर हो जाते थे
शिक्षा में पिछड़े क्षेत्र को लखि, फिर मन में एक कामना की
इण्टर कालिज और आई.टी.आई. की, कर कमलों से स्थापना की
अनुकूल आपके स्वप्नों के, एक महाविद्यालय खुलवाया है
बी.ए., बी.एस-सी. तो खुल गये, अब बी.एड. का मन भी बनाया है

श्री शिवचरन लाल विद्या देवी शिक्षा समिति शेरगढ़ (मथुरा)
द्वारा संचालित संस्थाएं

श्री शिवचरनलाल विद्या देवी जूनियर हाई स्कूल
शेरगढ़ (मथुरा)

श्री शिवचरनलाल विद्या देवी इण्टर कालेज
शेरगढ़ (मथुरा)

श्री शिवचरनलाल विद्या देवी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
(आई.टी.आई.)
शेरगढ़ (मथुरा)

वैद्य शिवचरन लाल स्मृति महाविद्यालय,
शेरगढ़ (मथुरा)

सम्पर्क सूत्र : 7037953801, 9760021902